

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या-५१ /VII-I/2018/23-स्क्रीन प्लान्ट/2018
देहरादून: दिनांक 16 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

अधिसूचना संख्या-1771/VII-I/16/68-ख/15, दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015 (यथासंशोधित), 2016 के प्रावधानानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-1003/स्क्री-भण्डा/भू0खनि0ई0/देंदू0/2018-19, दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 के अनुक्रम में एवं आवेदक द्वारा भण्डारण अनुज्ञाप्ति चाहने हेतु स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञाप्ति के क्रम में मै0 सैण्ड एन स्टोन प्रो0 गुरनाम सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह नि0 फतेहपुर टाण्डा डोईवाला, देहरादून को ग्राम फतेहपुर टाण्डा के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 212/2, 212/1, 215 कुल रकवा 0.939 है0 नाप भूमि में स्क्रीनिंग प्लान्ट परिसर में एक समय में 21,126 घ0मी0 तथा बिना अधिभार दिये 63,378 घ0मी0 क्षमता के उपखनिज भण्डारण हेतु स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञाधारक मै0 सैण्ड एन स्टोन प्रो0 श्री गुरनाम सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, ग्राम फतेहपुर टाण्डा, तहसील डोईवाला, जनपद देहरादून के पक्ष में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1068/VII-I/2018/23 स्क्रीनिंग प्लान्ट/18 दिनांक 04 जून, 2018 द्वारा स्वीकृत स्क्रीनिंग प्लान्ट में स्वीकृत अवधि अर्थात् 03-06-2023 तक निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अनुज्ञाप्ति पत्र स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. अनुज्ञाप्तिधारक भण्डारित किये गये एवं निर्गमित किये गये खनिजों का बोधगम्य लेखा-जोखा प्रपत्र "के" पंजिका भण्डारण में पृथक-पृथक रखना होगा, ताकि निरीक्षण के समय सही स्थिति की जानकारी हो सके। यदि उपरोक्त के अनुसार अभिलेख नहीं रखे जाते हैं, तो उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण)(संशोधन) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
2. अनुज्ञाप्तिधारक भण्डारित और परिवहन किये गये खनिजों के सही लेखा-जोखा की एक प्रति प्रत्येक माह जिला कार्यालय एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं वाणिज्य कर विभाग को प्रपत्र "एल" में प्रस्तुत करेगा।
3. अनुज्ञाप्तिधारक प्रश्नगत स्थल पर उपखनिजों का भण्डार इस प्रकार से करेगा, जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।
4. अनुज्ञाप्तिधारक प्रत्येक माह के क्रय उपखनिज के खरीद के साक्ष्य (एम0एम0-11/प्रपत्र जे0 की प्रति) प्रपत्र एल0 के साथ जिला कार्यालय, ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को जाँच हेतु प्रस्तुत करेगा।
5. अनुज्ञाप्तिधारक भण्डारण स्थल पर धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए छिड़काव हेतु पानी की व्यवस्था करेगा।

6. अनुज्ञापिधारक को समय-समय पर राज्य सरकार, जिलाधिकारी तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
7. अनुज्ञापिधारक द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, अनुज्ञा नीति-2016 के अध्याय-IV के बिन्दु संख्या -12 के प्राविधानानुसार छाने गये उपखनिज की मात्रा पर ₹0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक - 0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
8. अनुज्ञापिधारक भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रानिक तौल मशीन स्वयं के व्यय से अनिवार्य रूप से स्थापित करेगा।
9. अनुज्ञापिधारक खनिज का परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली-2005 यथासंशोधित, 2016 के अनुसार निर्धारित ई-रवना प्रपत्र "जे" पर करेगा।

बृजेश कुमार सन्त
प्रभारी सचिव,

संख्या ५। (1)/VII-I/2018/23 स्क्रीनिंग प्लान्ट/2018 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मै० सैण्ड एन स्टोन प्र० गुरनाम सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह नि० फतेहपुर टाण्डा डोईवाला, देहरादून
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)

संयुक्त सचिव।